केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

दिनांक: 05.02.2019

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/30
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00023
CICOM/R/2019/00009

अपीलकर्ता : श्री आनन्द किशोर पण्डा,
लक्ष्मणनगर, गुमला,
झारखंड – 835207.

निर्णय की तारीख : 05.02.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	12.12.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	07.01.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर. पी. ग्रोवर
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	14.01.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	49/29.01.2019 (8010/28.01.2019)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 12.12.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से शिकायत सं. CIC/AD/C/2013/001825-SA से संबंधित दिनांक 22.11.2018 को लिखे गए पत्र की प्रति आर.टी.आई. आवेदन के साथ संलग्न करते हुए उक्त पत्र पर की गई कार्यवाही की सूचना मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री आर. के. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना कि "Your letter dated 22.11.2018 is not available in the appeal file no CIC/AD/2013/001825-SA. As such information requested cannot be provided." के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।

2. आयोग की वेबसाईट में अपीलकर्ता के दिनांक 22.11.2018 के पत्र की स्थिति की जांच करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का उक्त पत्र डायरी सं. 170247/2018 के तहत द्वितीय अपील सं. CIC/AD/A/2013/001825 के साथ लिंक किया गया है, जबकि अपीलकर्ता द्वारा संलग्न उक्त पत्र में शिकायत वाद सं. CIC/AD/C/2013/001825-SA का उल्लेख किया गया है। आयोग की वेबसाइट dsscic.nic.in (एप्सकॉम) में उपलब्ध ई-बुक में जांच करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का दिनांक 22.11.2018 का उक्त पत्र संचिका सं. CIC/AD/A/2013/001825 में उपलब्ध है। तद्नुसार केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, कम्पलायंस सेल को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में अपील/शिकायतों के साथ किसी पत्र को सावधानी पूर्वक लिंक करें एवं लिंक करते समय संचिका संख्या का विशेष ध्यान रखें तथा श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर अपीलकर्ता का उक्त पत्र प्राप्त कर की गई कार्यवाही से अपीलकर्ता का अवगत करवाया जाए, यदि अपेक्षित हो तो किसी अन्य जन सूचना अधिकारी की सहायता ली जा सकती है।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
07 FEB 2019
D. No.........
Initials.........

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :
1. श्री टी.वी.जे.एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
2. श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, के.सू.आ., नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, कम्पलायंस सेल, के.सू.आ., नई दिल्ली।